न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

(प्रथम लिंक अधिकारी)

2025-667RAABarmer2025-326RTA223 Karna ors Vs Aadaram etc

01. करना पुत्र वीरा
02. पांचा पुत्र वीरा
03. रामाराम पुत्र भीमाराम

जाति कलबी निवासी मघा की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. आदाराम पुत्र वीराराम
2. अचला पुत्र वजा
3. उदाराम पुत्र भीमाराम

   जाति कलबी निवासी मघा की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
4. शाखा प्रबन्धक, एस.बी.आई शाखा गुड़ामालानी
5. शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा गुड़ामालानी
6. शाखा प्रबन्धक, बा.स.भू.वि.बैंक बालोतरा
7. तहसीलदार गुड़ामालानी

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04 सितंबर 2025 सहायक कलक्टर गुड़ामालानी राजस्व मूल वाद संख्या 145/2024 (2025/595) आदाराम बनाम करना इत्यादि

उपस्थित–
श्री मोहनलाल विश्नोई, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री नारायण कुमावत, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक

नि र्ण य

दिनांक : 25 फरवरी 2026

अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 145/2024(2025/595) अनवान आदाराम बनाम करना इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 04 सितंबर 2025 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 05 दिसंबर 2025 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, व 188 के तहत वादग्रस्त भूमि राजस्व ग्राम मघा की ढाणी तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा संख्या 607, 611, 659, 660, 660/2, 697, 721 रकबा क्रमशः 4.1116 हैक्टेयर, 06.4588 हैक्टेयर, 0.

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

0081 हैक्टेयर, 06.9687 हैक्टेयर, 0.5827 हैक्टेयर, 5.6899 हैक्टेयर, 1.9101 हैक्टेयर व मौजा भाखरपुरा के खेत खसरा नम्बर 41 रकबा 2.3795 हैक्टेयर व ग्राम खारवा के खेत खसरा नम्बर 535 रकबा 9.5344 हैक्टेयर के संबंध में विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद इस आशय का पेश किया कि वादी का वादग्रस्त आराजीयात में 1/9 हिस्सा है तथा वादी का कब्जा काश्त खसरा नम्बर 697 रकबा 5.6899 हैक्टेयर में ही है तथा वादी उक्त बंटवाड़े के जरिये खसरा संख्या 697 मौजा मघा की ढाणी में सम्पूर्ण भूमि पर काविज होने पर वादीगण को दी जावे। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 04 दिसंबर 2025 वादी का वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर लिया गया, जिसके विरूद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को बिना सुने ही उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने किसी भी पक्षकार को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया और सारी कार्यवाही एक ही दिन में अमल में लाई गई है तथा विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर डाक से नोटिस जारी करने का आदेश नही होते हुए भी डाक से नोटिस जारी करवाकर बिना तामिल के ही ऑनलाईन डिलीवरी बताकर एक माह के भीतर ही एकतरफा कार्यवाही कर दी गई है, जबकि नियमानुसार किसी भी पक्षकार को नोटिस विधिवत रूप से तामिल होने के बाद एक माह तक इन्तजार करने के बाद ही एकतरफा कार्यवाही की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय ने नोटिस तामिल के एक माह का इन्तजार भी नहीं किया गया एवं अपीलांट को किसी भी प्रकार का नोटिस भी नहीं दिया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे नोटिस जारी करने का कोई इन्द्राज भी नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि उत्तरदाता संख्या 1 ने बंटवाड़ा व निषेधाज्ञा का दावा पेश किया तथा साथ ही मात्र एक खसरे में ही सम्पूर्ण खसरे की मांग की गई, जबकि उक्त खसरे में वादी/उतरदाता संख्या एक का 1/9 हिस्सा बनता है। कानूनन बिना घोषणा किये वादी का दावा चलने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिकी प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त करने योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना में हाल ही में पटवारी हल्का मौके पर आया, तब अपीलाण्ट को उक्त एकपक्षीय निर्णय की जानकारी प्राप्त हुई। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 11.11.2025 को नकल प्राप्त करने के लिए आवेदन किया, जिसकी नकलें दिनांक 12.11.2025 को प्राप्त हुई। प्रथम जानकारी से अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित डिक्री व निर्णय दिनांक 04 सितंबर 2025 को अपास्त किया जावे एवं मामला विधिनुसार अपीलांट

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

को जवाबदावा, साक्ष्य प्रस्तुति एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

जवाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट पर रजिस्टर्ड ए.डी. सम्मन के माध्यम से सम्मनों की सम्यक तामील करवायी गई है। अपीलांट के उपस्थित नहीं होने पर विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन के वाद में अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित कर वादग्रस्त आराजीयात में पक्षकारान् के दर्ज हक–हिस्से अनुसार वहामी बंटवाड़े तथा कब्जे काश्त को ध्यान में रखते हुए नियम 18 से 21 की पालना में तहसीलदार को विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये है। यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये अपीलांट्स वादग्रस्त आराजीयात में दर्ज वर्तमान हिस्से में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। जहां तक अपीलांट्स का उज्र है कि विचारण न्यायालय द्वारा मौके पर कब्जे काश्त अनुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार किये जाने के निर्देश दिये गये है। इस संबंध में रेस्पो. संख्या एक का माननीय न्यायालय से निवेदन है कि अपील स्तर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को संशोधित करते हुए तहसीलदार को निर्देशित किया जावे कि वह उभय पक्ष की उपस्थिति में बाई मिट्स एवं बांउण्ड्स के आधार पर अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि पक्षकारान् के हिस्से में समान अनुपात में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार करे। विचारण न्यायालय को भी निर्देशित किया जावे कि वह विभाजन प्रस्ताव पर विधिनुसार उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए मामले में अंतिम डिक्री जारी करे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब का प्रश्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के तकनीकी बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

गुणावगुण पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के जरिये वादग्रस्त आराजीयात ग्राम मघा की ढाणी तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा संख्या 607, 611, 659, 660, 660/2, 697, 721 रकबा क्रमशः 4.1116 हैक्टेयर, 06.4588 हैक्टेयर, 0.0081 हैक्टेयर, 06.9687 हैक्टेयर, 0.5827 हैक्टेयर, 5.6899 हैक्टेयर, 1.9101 हैक्टेयर व मौजा भाखरपुरा के खेत खसरा नम्बर 41 रकबा 2.3795 हैक्टेयर व ग्राम खारवा के खेत खसरा नम्बर 535 रकबा 9.5344 हैक्टेयर में वादीगण के राजस्व रेकर्ड में दर्ज हक–हिस्से अनुसार वहामी बंटवाड़े एवं मौके पर पक्षकारान् के कब्जे काश्त अनुसार बंटवाड़ा किये जाने के पारित पारित किये गये है। अपीलांट्स का उज्र है कि विचारण न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारान् के हिस्से पृथक किये जाने के आदेश नहीं दिये गये है तथा न ही बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने के आदेश दिये गये है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह उल्लेखनीय है अपीलांट्स के उक्त उज्र के परिप्रेक्ष्य में रेस्पो. संख्या एक द्वारा बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु अदालत हाजा स्तर से संशोधित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित किये जाने में अपनी स्वीकारोंक्ति प्रदान की गई है। लिहाजा उभय पक्ष की उक्त स्वीकारोंक्ति के परिप्रेक्ष्य अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को संशोधित किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 145/2024(2025/595) अनवान आदाराम बनाम करना इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 04 सितंबर 2025 संशोधित किये जाने वादग्रस्त आराजीयात का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम(राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना उभय पक्ष की उपस्थिति में बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेश दिये जाते है। साथ ही विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है वह उभय पक्ष को विभाजन प्रस्ताव पर आपत्तियॉ प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए मामले में विधिनुसार अंतिम डिक्री जारी करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर